दिव्यांगजनों हेतु प्रदत्त सुविधाओं से
सम्बन्धित शासनादेशों का संकलन

उत्तराखण्ड शासन

शासनादेशों का संकलन

कार्यालय

आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड,
देहरादून।
दूरभाष नं0 0135– 2727981
E mail :- cduttarakhand@gmail.com

संख्याः 6 /XVII–2/14–39(विविध)/2002–TC

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज/महिला कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 2\जनवरी, 2014

विषयः–वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत दरों में वद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–459/XVII(i)–2/2005–01(10)/2005 दिनांक 17 जून, 2006 एवं शासनादेश संख्या–57/XVII–2/2010–06(91)/2006 दिनांक 09 फरवरी, 2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वृद्धावस्था एवं निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान योजना की दर रू0 400/– तथा विकलांग पेंशन की दर रू0 600/– की गई थी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत (केन्द्रांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुये) वर्तमान दरों में वृद्धि करते हुए रू0 800/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. उक्तानुसार बढ़ाई गई दरें दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त होगी।

4. उक्त तीनों पेंशनों में बढी हुई दर रू0 800/– में केन्द्राश भी सम्मिलित है।

5. शासनादेश संख्या–915/XVII–02/2010–06(05)/2009 दिनांक 01 फरवरी, 2010 द्वारा विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत उन विकलांगों, जो 'The Person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Right and Full Participation) Act, 1995 की धारा–2n के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग है, को रू0 1,000/– प्रति लाभार्थी प्रतिमाह पूर्व की भांति अनुमन्य रहेंगी।

6. उक्त योजनाओं के अन्तर्गत दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व शासनादेश संख्या–459/XVII(i)–2/2005–01(10)/2005 दिनांक 17 जून, 2006 एवं शासनादेश संख्या–57/XVII–2/2010–06(91)/2006 दिनांक 09 फरवरी, 2010 को एतद्द्वारा अतिक्रमित समझा जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–66/XXVII(1)/2014 दिनांक 17 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्याः ~~746~~ /xxvii(7)50(64)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तरांखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तरांखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनःदिनॉकः 07 ~~दिसम्बर, 2013~~ जनवरी, 2014

विषयः– निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत, सेवा के दौरन निशःक्त हुये कर्मचारियों के संबंध में की गई व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या–311/नि0स0/अ0स0का0/2006 दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशक्त व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा समान अवसर देने के लिये "THE PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES, PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) ACT, 1995" प्रख्यापित किया है जिसकी धारा 47(1) के प्राविधान निम्न हैः–

(1) कोई स्थापन, ऐसे कर्मचारी को, जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है, सेवोन्मुक्त या पंक्तिच्युत नहीं करेगा ।

परन्तु यदि कोई कर्मचारी निःशक्त हो जाने के पश्चात उस पद के लिये जिसको वह धारण करता है,उपयुक्त नहीं रह जाता है तो उसे, उसी वेतनमान और सेवा संबंधी फायदों वाले किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो उसे समुचित पद उपलब्ध होने तक या उसके द्वारा अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी अधिसंख्यक पद पर रखा जा सकेगा।

...2.

अतः उक्तानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था लागू किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) जो व्यक्ति सेवा में रहते हुये निःशक्त हो गया है उसे सेवा से हटाया नहीं जायेगा, तथा उसका अन्यत्र उपयोग करने की व्यवस्था की जायेगी।

(ख) यदि ऐसा करना सम्भव न हो तब उस व्यक्ति को अधिवर्षता की आयु तक सेवा में बनाये रखा जायेगा, और वेतन दिया जायेगा।

(ग) सरकारी कार्य प्रभावित न हो इसके लिये उसे वित्त विभाग की सहमति से एक अधिसंख्यक पद सृजित करके सेवा में बनाये रखा जायेगा।

(घ) अधिनियम में उल्लिखित विकलांगता की श्रेणी एवं प्रतिशत के संबंध में चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

संलग्न– अधिनियम की प्रति।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 746 (1)/XX/11(7)5)(64) तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल ऑडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या 222 CM /XXX/(2)/2013–3(16)2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव।
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

3. समस्त आयुक्त/जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 15 मई, 2012

विषयः–राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत आरक्षित श्रेणी के पूर्व से चली आ रही रिक्तियों के बैकलॉग को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के आरक्षित श्रेणी के चिन्हित रिक्त पदों के बैकलॉग को भरे जाने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 874/XXX(2)/2008, दिनांक 02 जुलाई, 2008, शासनादेश संख्या 105/XXX(2)/2006, दिनांक 28 जनवरी 2010, शासनादेश संख्या 1552/XXX(2)/2010, दिनांक 18 अक्टूबर 2010, संख्या 420/XXX(2)/2012, दिनांक 15 मई 2012 एवं संख्या 729/XXX(2)/2012 दिनांक 6 अगस्त 2012 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि "जहाँ आरक्षित श्रेणी के पद लम्बे समय से रिक्त हैं तथा बैकलॉग बना हुआ है, वहाँ विशेष अभियान चलाकर पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।"

2– उक्त के अतिरिक्त अद्यतन शासनादेश संख्या 1109/XXX(2)/2012 दिनांक 8 नवम्बर 2012 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के सन्दर्भ में विशेष अभियान चलाकर आरक्षित रिक्तियों को बैकलॉग सहित आगणित करते हुए अधियाचन तैयार कराकर दिनांक 20 नवम्बर 2012 तक आयोग की परिधि के पदों के सन्दर्भ में लोक सेवा आयोग को तथा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराया जाय।

3– शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभी तक विभागों द्वारा सीधी भर्ती के आरक्षित रिक्त पदों के बैकलॉग को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

4– अतः इस सम्बन्ध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपके नियंत्रणाधीन विभागों में लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग

की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के सन्दर्भ में उपरोक्तानुसार कार्यवाही नहीं की गयी है, तो विशेष अभियान चलाकर आरक्षित रिक्तियों को बैकलॉग सहित आगणित करते हुए अधियाचन तैयार कराकर **दिनांक 20 मई 2013** तक आयोग की परिधि के पदों के सन्दर्भ में लोक सेवा आयोग को तथा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्व कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की सूचना कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

संख्या 222 CM / XXX(2) / 2013–3(16)2012 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की, हरिद्वार।
3. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को वैबसाईड में प्रदर्शित करने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या 475 / XXX(2) / 2013–3(15)2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 05 अप्रैल, 2013

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 426 / XXX(2) / 2012 दिनांक 25 मई 2012 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2– विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा रहा है।

3– आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 426 / XXX(2) / 2012 दिनांक 25 मई 2012 के प्राविधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृति पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं में आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत),
सचिव।

संख्या (1) / XXX(2) / 2013 3(15)2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री, समाज कल्याण एवं परिवहन, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के पत्र दिनांक 14.3.2013 के क्रम में
2. सचिव, लोक आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
4. प्रबन्ध निदेशक, उपसुल, गढ़ी कैन्ट देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, हिल्ड्रान, 252, इंदिरानगर, देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)

संख्या 935 / XXX(2) / 2013–3(15)2012

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 23 सितम्बर, 2013

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 426 / XXX(2) / 2012 दिनांक 25 मई 2012 एवं तद्विषयक शासनादेश संख्या 475 / XXX(2) / 2013–3(15)2012 दिनांक 5 अप्रैल, 2013 एवं शासनादेश संख्या 695 / XXX(2) / 2013–3(15)2012 दिनांक 18 जून, 2013 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2– विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययिता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है। शासन के संज्ञान में पुनः यह तथ्य लाये गये हैं कि विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा रहा है।

3– इस सम्बन्ध में पुनः इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि कृपया उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 426 / XXX(2) / 2012 दिनांक 25 मई 2012 के प्राविधानों के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं में अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की संख्या आगणित करते हुए आरक्षण अनुमन्य किये जाने के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4– आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आउट सोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन के सम्बन्ध में आरक्षण के प्राविधान लागू करने हेतु समस्त विभागों में विभागाध्यक्ष के स्तर पर एक

निगरानी समिति का गठन अनिवार्य रूप से कर दिया जाय, जिससे आरक्षण के प्राविधानों को लागू कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नियमों का अनुपालन नहीं किया जायेगा उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या 935 (1)/XXX(2)/2013 3(15)2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
2. प्रबन्ध निदेशक, उपसुल, गढ़ी कैन्ट देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, हिल्ड्रान, 252, इंदिरानगर, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या 695/XXX(2)/2013–3(15)2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 18 जून, 2013

विषयः– राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन में आरक्षण के प्राविधान लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 426/XXX(2)/2012 दिनांक 25 मई 2012 एवं तद्विषयक शासनादेश संख्या 475/ XXX(2)/2013–3(15)2012 दिनांक 5 अप्रैल, 2013 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2– विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर विभिन्न कारणों से समयान्तर्गत सेवा नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न न होने अथवा मितव्ययिता के दृष्टिगत विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं से आउटसोर्सिंग द्वारा सेवायोजन की कार्यवाही की जा रही है। शासन के संज्ञान में पुनः यह तथ्य लाये गये हैं कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने वाले सेवायोजन के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा रहा है।

3– आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 426/XXX(2)/2012 दिनांक 25 मई 2012 के प्राविधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं में आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत),
सचिव।

संख्या (1)/XXX(2)/2013 3(15)2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री, समाज कल्याण एवं परिवहन, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के पत्र दिनांक 22 मई, .2013 के क्रम में
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
3. प्रबन्ध निदेशक, उपसुल, गढ़ी कैन्ट देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, हिल्ड्रान, 252, इंदिरानगर, देहरादून।
5. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या :657/XVII–02/2008–06(43)/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव एवं आयुक्त,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–02

देहरादून : दिनांक 27 अक्टूबर, 2008

विषयः– मानसिक विकलांगजनों के लिये राष्ट्रीय न्यास (नेशनल ट्रस्ट) भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गयी स्वास्थ्य बीमा योजना 'निरामया' के अन्तर्गत आच्छादन हेतु आय प्रमाण–पत्र व मेडिकल सर्टिफिकेट का जारी किया जाना।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय न्यास, जो भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी संस्थान है और मानसिक विकलांगजनों के कल्याणार्थ कार्यरत है, के द्वारा मानसिक विकलांगजनों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिये 'निरामया' नामक योजना का आरम्भ किया गया है।

इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत समस्त मानसिक विकलांगजनों को आच्छादित करने हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। इस हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा जनपद की लोकल लेवल कमेटियों व उन समस्त स्वैच्छिक संस्थानों को, जो कि राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत है, आवेदन पत्र भरवाकर सीधे तीसरी पार्टी नोडल एजेन्सी एलिजियोन इन्श्योरेन्स ब्रोकिंग लिमिटेड, 117–सेंट ऐबा एवेन्यू, पी0एस0 सिवासामी सिलाई, मायलापुर, चेन्नई 600004 को अथवा राष्ट्रीय न्यास, नवाँ तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25–कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को भेजेंगे।

'निरामया' की मार्ग निर्देशिकायें व आवेदन–पत्र का प्रारूप आपको प्रेषित किया जा रहा है। आवेदन–पत्र के साथ आय प्रमाण–पत्र, विकलांगता प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र/राशन कार्ड की छायाप्रतियां व सामान्य डिजीटल फोटोग्राफ संलग्न किये जायेंगे। 'निरामया' के प्रचार–प्रसार व मानसिक विकलांगजनों के चिन्हांकन का कार्य, राष्ट्रीय न्यास द्वारा राज्य के लिये नामित स्टेट नोडल एजेन्सी राफेल (SNAC), मोहिनी रोड, देहरादून द्वारा किया जायेगा।

उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिये निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायें :–

1. समस्त 'निरामया' आवेदन–पत्र लोकल लेवल कमेटी के कार्यालय में, रजिस्ट्रर में दर्ज किये जायें व जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में इनको कम्प्यूटरीकृत कराया जाये,
2. आय प्रमाण–पत्र के रूप में राशन कार्ड को राष्ट्रीय न्यास द्वारा स्वीकार किया गया है। नये आय प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु तहसीलदारों व लोकल लेवल कमेटियों व खाद्य विभाग के राशन कार्ड निर्गत करने के लिये अधिकृत अधिकारी को समन्वय करते हुये तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये जायें,
3. मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिये यह आवश्यक होगा कि मेडिकल बोर्डों में एक क्लीनिकल साइकलॉजिस्ट सम्मिलित किया जाये। इस हेतु राफेल (SNAC), देहरादून शीघ्र

एक पैनल गठित करेगा जो कि लोकल लेवल कमेटियों व मेडिकल बोर्डों के साथ कार्य करेगा। इस कार्य के लिये यथासम्भव ब्लाक स्तर पर कैम्प लगवायें जायें।

4. 'निरामया' का विवरण/प्रपत्र जानने के लिये http:gov.ua.nic.in व www.nationaltrust.org.in को विजिट किया जा सकता है

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुये योजना को सफल बनाने हेतु सम्यक प्रचार व प्रसार भी करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(**मनीषा पंवार**)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 857/XVII–02/2008–06(43)/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, चन्दर नगर, देहरादून।
3. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को 'निरामया' हेतु निर्धारित प्रपत्र इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि वे लोकल लेवल कमेटी कार्यालय व जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में इस प्रपत्र की उपलब्धता बनाये रखें।
4. राफेल रायडर चैशायर होम (SNAC), मोहनी रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर पर क्लीनिकल साईक्लॉजिस्ट/साइकेट्रिस्ट का नियमानुसार एक पैनल गठित करने का प्रस्ताव शासन को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें तथा सभी NT से पंजीकृत योजनाओं को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
5. श्री एस0 के0 मोहन्ति, उप निदेशक, राष्ट्रीय न्यास, 9वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25–कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
6. डा0 टी0वी0 रमेश, M/s एलिजियोन इन्श्योरेन्स ब्रोकिंग लिमिटेड, 117–सेंट ऐबा एवेन्यू, पी0एस0 सिवासामी सिलाई, मायलापुर, चेन्नई – 4, (044–24983059, 24980167, फैक्स–24983067) को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(**स्नेहलता अग्रवाल**)
अपर सचिव।

महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

संख्याः / XVII-2 / 14–06(02) / 2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला / समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2014

विषयः विकलांग युवक / युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान ₹ 25,000 / – किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ करते हुए अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा जन कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं संचालित है, जिनमें से एक विकलांग युवक / युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य युवक द्वारा विकलांग युवती से विवाह करने पर अनुदान की राशि ₹ 14,000 / – एवं सामान्य युवती द्वारा विकलांग युवक से विवाह करने पर अनुदान की राशि ₹ 11,000 / – तथा दोनो विकलांग युवक / युवती द्वारा विवाह करने पर अनुदान की राशि ₹ 14,000 / – अनुमन्य है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विकलांग युवक / युवती के सामान्य युवक / युवती से विवाह करने पर तथा दोनो विकलांग युवक व युवती द्वारा विवाह करने पर दम्पत्ति को ₹ 25,000 / – का प्रोत्साहन अनुदान अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. इस योजना हेतु पूर्व निर्गत संगत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।
4. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1 के अशासकीय पत्र सं0–873 / XXVII(1) / 2014 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः / XVII-2 / 14–06(02) / 2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।

कार्यालय– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।

संख्या–परिषद/संशोधन/86) दिनांक 18 फरवरी, 2012

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अधिसूचना संख्या/28/XXIV–6/2012 देहरादून, दिनांक 06फरवरी, 2012 के द्वारा परिषद विनियमों के अध्याय–तेरह के अन्तर्गत विनियम4 (क) में संशोधन की स्वीकृति उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम– 2006 की धारा–24 की उप धारा–(2) के अन्तर्गत प्रदान की है:–

वर्तमान प्रावधान	संशोधित विनियम
1	2
अध्याय–तेरह 4– मस्तिक स्तम्भ से पीड़ित,(स्पेस्टिक),दृष्टिहीन (नेत्रहीन),शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक बच्चों के लिये छूट :– (क) **माध्यमिक** विद्यालय परीक्षा में बैठने वाला पूर्ण नेत्रहीन, शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक छात्र श्रुतलेखक की सेवाएं ले सकता है और उसे प्रश्न पत्र के प्रत्येक घण्टे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।	**अध्याय–तेरह** 4– मस्तिक्र स्तम्भ से पीड़ित,(स्पेस्टिक), दृष्टिहीन (नेत्रहीन), शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक बच्चों के लिये छूट :– (क) **विद्यालयी** परीक्षा में बैठने वाला पूर्ण नेत्रहीन, शारीरिक रूप से विकलांग तथा डिस्लेक्सिक छात्र श्रुतलेखक की सेवाएं ले सकता है और उसे प्रश्न पत्र के प्रत्येक घण्टे के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

उक्त स्तम्भ–1 वर्तमान प्रावधान के स्थान पर स्तम्भ–2 संशोधित विनियम को पढ़ा जाय।

(डॉ0दयाकृष्ण मथेला)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर, नैनीताल।

पृ0संख्या/ परिषद/संशोधन/867– 902 दिनांक– उक्तवत्।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महानिदेशक, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
2– निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– अपर शिक्षा निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी उत्तराखण्ड, नरेन्द्रनगर टिहरी।
4– अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल ।
5– प्राचार्य, डायट समस्त उत्तराखण्ड।
6– जिला शिक्षा अधिकारी समस्त उत्तराखण्ड।
7– विभागीय परीक्षा/संस्कृत परीक्षा अनुभाग।

(डॉ0दयाकृष्ण मथेला)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर, नैनीताल।

संख्या–1286 / v–आ0 / 06–495(आ0) / 2004

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून / नैनीताल / गंगोत्री ।

2– उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून / हरिद्वार।

आवास विभाग देहरादून: दिनॉक 26 जुलाई 2006

विषय : उत्तरांचल के विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों / भूखण्डों के आबंटन में आरक्षण विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य के विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन विषयक समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए उत्तरांचल के विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन में निम्न प्रकार आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है –

क्र स0	वर्ग	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	19
2	अनुसूचित जनजाति	04
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	14
4	विधायक, सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5	राज्य सरकार के कार्मिकों एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिकों, जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	06
6	सूचना विभाग उत्तरांचल शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकार	02
	कुल योग	50

2— शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं सीनियर सिटीजन, विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा --

हारिजेंटल आरक्षण

1—	महिलायें	30
2—	सीनियर सिटीजन	10
3—	भूतपूर्व सैनिक	02
4—	विकलांग	03
5—	स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित	02

3— उत्तरांचल स्थित समस्त विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों का आबंटन में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिस व्यक्ति को आरक्षण कोटे का लाभ देकर भूखण्ड या भवन का आबंटन किया जाये उसी आवन्टी अथवा उसके परिवार द्वारा भूखण्ड/भवन का उपयोग किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के किसी व्यक्ति को यदि कोई भवन या भूखण्ड आबंटित होता है तो सम्बन्धित आवन्टी आवंटित भवन/भूखण्ड को कब्जे की तिथि से आगामी 05 वर्ष तक विक्रय नहीं कर सकेगा ।

4— आरक्षित वर्ग के किसी महिला या पुरुष को आरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए यदि कोई भवन/भूखण्ड का आवंटन किया जाता है तो उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को किसी भी दशा में आरक्षित अथवा अनारक्षित भूखण्ड या भवन का आबंटन न किया जाये। इस तरह का आवंटन होने पर आरक्षित श्रेणी का आवंटन भी निरस्त कर दिया जाये।

5— अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें और समय-समय पर उक्त व्यक्तियों के लिए किये गये आवंटन का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या ..... तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, शासन।
2— सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3— निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4— आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल देहरादून।
5— सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल देहरादून।
6— समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण के सूचनार्थ।
7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8— सचिवालय के समस्त अनुभाग
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0के0 पंत)
अनु सचिव

संख्याः ✓ /XVII–2/14–01(17)/2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला/समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः ०५ मार्च फरवरी, 2014

विषयः वर्तमान में लागू विभिन्न पेंशन योजनाओं यथा निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान, विकलांग भरण पोषण अनुदान एवं वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं हेतु पूर्व में निर्धारित मासिक आय सीमा के मानक में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता हेतु वर्तमान में नियत मासिक आय सीमा के मानक रू0 1000/– प्रतिमाह को बढ़ाकर रू0 4000/– प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. विधवा भरण पोषण अनुदान
2. विकलांग भरण पोषण अनुदान
3. वृद्धावस्था पेंशन योजना
4. विकलांग कृत्रिम अंग अनुदान

2– यह आदेश वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 340 (1)/XVII–2/14–01(17)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

8— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9— उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10— निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11— महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।

संख्या :377/XVII–02/09–06(03)/2009

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक : 08 जुलाई 2009

विषय : उत्तराखण्ड में सरकारी आवासों/भवनों के आबंटन में समस्त श्रेणी के विकलांग कार्मिकों के लिये 3% आरक्षण लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश सं0 1634/XVII(1)–01(115)/2005 दिनांक 05, दिसम्बर, 2005 के द्वारा उत्तराखण्ड में सरकारी आवासों/भवनों के आवंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये क्रमशः 19%, 04% एंव 14% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। इसी के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के विकलांग कार्मिकों के लिये भी सरकारी आवासों/भवनों में 3% आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाये।

2. कृपया उक्त आदेश के अनुरुप कार्यवाही हेतु सम्बन्धि अधिकारियों को अविलम्ब अवगत करा दिया जायें ताकि सभी स्तरों पर इसका अनुपालन एंव क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :377/XVII–02/2009–NGO(02)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमॉऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. राज्य सम्पत्ति अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. आवास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अध्यक्ष/प्रशासक, नगर निगम, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. समस्त अध्यक्ष, प्रशासक, नगर पालिका, उत्तराखण्ड।
10. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,,

(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव।

संख्याः 328 /XVII–2/14–01(16)/2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला/समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 4 मार्च, 2014

विषयः महिलाओं के कृषि कार्य में विकलांग होने की स्थिति में "तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं के कृषि कार्य में विकलांग होने की स्थिति में उन विकलांग महिलाओं को "तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना" के अन्तर्गत प्रतिमाह रू0 800/– भरण पोषण अनुदान प्रदान किये जाने के लिए राज्य में पूर्व से संचालित "विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना" के प्राविधानों में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शिथिलता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– प्रश्नगत योजना राज्य में पूर्व से संचालित "विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना" में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रारम्भ की जा रही है। शिथिलीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय में संलग्न महिलाओं के कृषि कार्य में विकलांग होने के फलस्वरूप विशेष परिस्थिति में यह सहायता प्रदान की जा रही है। अतः पूर्व से लागू योजना के रहते हुए भी इस योजना का नाम "तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना" दिया जा रहा है।

2– प्रश्नगत योजना में मासिक आय सीमा का प्राविधान नहीं है तथा योजना 01 अप्रैल, 2014 से लागू होगी।

3– योजना का लाभ ऐसी ग्रामीण महिलाओं को अनुमन्य होगा, जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो।

4– महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष तक हो तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी अन्य योजना का लाभ प्रदान नहीं हो रहा हो।

5– ऐसी महिला यदि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेती है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आती है, तो उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जायेगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक सम्बन्धित महिला को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति/भुगतान नहीं होती, तब तक उसे इस योजना से पेंशन जारी रखी जायेगी

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 328 (1)/ XVII–2/14–01(16)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।

सं0 : 32 /XXX(2)/2014-03(11)/2012

प्रेषक,

सी0एम0एस0बिष्ट
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 06 मई, 2014

विषयः– निःशक्तजन को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0: 17/जी0आई0/कार्मिक–2/2003, दिनांक 03 जून, 2003 तथा कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0: 1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निःशक्तता की तीन श्रेणियों (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (ख) श्रवणह्रास अथवा (ग) चलन क्रिया के अनुसार पद चिन्हित करते हुये निःशक्तजन को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने विषयक प्रक्रिया के सम्बन्ध में वृहद दिशानिर्देश जारी किये गये थे।

2– सिविल अपील संख्या : 9096/2013, भारत सरकार व अन्य बनाम् राष्ट्रीय दृष्टिहीन संध व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2013 निम्न व्यवस्था निर्धारित की गयी है :–

"Thus, after thoughtful consideration, we are of the view that the computation of reservation for persons with disabilities has to be computed in case of group A,B,C,D in identical manner viz; "Computing 3% reservation on total number of vacancies in the cadre strenth" which is the intention of the legislature."

3– मा0 उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्तानुसार निःशक्तजनों के अधिकार को सुरक्षित रखने तथा आरक्षण नीति के समुचित क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है :– "The "appropriate Government" to compute the number of vacancies available in all the "establishment" and further identify the posts for disabled persons within a period of three months from today and implement the same without default."

4– मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय एवं दिशा--निर्देशों के क्रम में राज्याधीन सेवाओं में निःशक्तजनों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं :–

"समूह 'क','ख',ग', व 'घ' संवर्ग में सीधी भर्ती कोटे में सृजित समस्त पदों की कुल संख्या के आधार पर समूह 'क','ख','ग' व 'घ' के पदों पर निःशक्तजनों के लिए आरक्षण का आगणन किया जायेगा तथा आगणित पदों पर विकलांगता की श्रेणी चिन्हित करते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। "

निःशक्तजनों के आरक्षण के सम्बन्ध में इस शासनादेश से पूर्व निर्गत कार्यालय–ज्ञाप व शासनादेश उपर्युक्त शासनादेश में विहित प्रावधानों से असंगति की सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
सचिव

संख्याः / XVII-2 / 14–29(स0क0) / 2003

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव, / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 06 फरवरी, 2014

विषयः–उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में शारिरिक रूप से विकलांगजन के लिए आरक्षण हेतु समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पदों का चिन्हांकन विषयक शासनादेश संख्या–196 / XVII–2 / 2011–29(स0क0) / 2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 में आंशिक संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 2011 द्वारा विकलांगजन के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार सरंक्षण तथा पूर्ण भागिदारी) अधिनियम, 1995 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा–32 में विकलांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन किये जाने के प्राविधान के दृष्टिगत इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों को एक–एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगें।

(i)– दृष्टिहीनता।
(ii)– श्रवणह्रास।
(iii)– चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्ता या प्रमस्तिष्कीय अंधात।

2. उक्तानुसार उल्लिखित श्रेणियों का अंकन शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 2011 के साथ चिन्हांकित पदों की संलग्न सूची में किया गया है तथापि चिन्हांकित पदों की संलग्न सूची में क्रमांक–2 पर अंकित माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही पूर्ण बधिर (Deaf) एवं आंशिक बधिर (पी.डी.) का उल्लेख है, अन्य विभागों में नही।

जबकि उक्त अधिनियम, 1995 की धारा–2(ठ) मे "श्रवण शक्ति का ह्रास" से अभिप्रेत है। "संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण 60 डेसीबेल या अधिक की हानि"

Person with Disabilities Act, 1995 Section 2(l) "hearing impairment" means loss of sixty desibels an institution for the reception, care, protection, education, training, rehabilitation or any other service of persons with disabilities;

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार परिभाषित श्रवणह्रास के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–196/XVII–2/2011–29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश के साथ संलग्न सूची मे **'पद के लिए उपयुक्त विकलांगजन की श्रेणियों'** में जहॉ–जहॉ पी.डी. (आंशिक बधिर) का उल्लेख है, वहॉ पर पी.डी. के **साथ डी. (Deaf) "पूर्ण बधिर"** भी पढा जाय।

3. शासनादेश संख्या–196/XVII–2/2011–29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–201 /XVII–2/14–29(2स0क0)/2003 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(एच0सी0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या– /XVII-1/2015-18(वि.क.)/2005-TC

प्रेषक,

एस. राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, दिनांक 27 जुलाई, 2015.

विषयः उत्तराखण्ड के बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में बौने व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से लगभग अलग रहते हैं। इसका मुख्य कारण उनके जीवन–यापन हेतु उचित व्यवस्था न होने, आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर होने, रोजगार के साधन न होने तथा उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु पृथक से कोई व्यवस्था न होना है।

2. बौने व्यक्ति को समाज के साथ तथा सामाजिक परिवेश में अपने जीवन–यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अतः उत्तराखण्ड राज्य के बौने व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से ऐसे बौने व्यक्तियों को, जिनकी ऊँचाई 04 फिट से कम हो तथा जिनकी आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक हो, को रूपये 800/– प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त नवीन योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों का चयन किए जाने हेतु वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जो "विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना" के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु अपनाई जाती है। नवीन योजना हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

4. उक्त नवीन योजना हेतु पात्र अभ्यर्थी से उनकी आयु के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अभिलेखीय प्रमाण अवश्य प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की ऊँचाई के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही अपनी सहमति प्रदान की जाएगी।

5. यदि योजना के संचालन/क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो इस सम्बन्ध में शासन का मार्गदर्शन/निर्देश प्राप्त किए जाने आवश्यक होंगे।

-2-

6. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–863/XXVII(1)/2015, दिनांक 23.07.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. राजू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2819/वि.क.(1)/XVII-1/2015-18(वि.क.)/2015-TC, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(पी.एस. जंगपांगी)
सचिव।

संख्या-359/XVII-1/2015-18(वि.क.)/2005-TC

प्रेषक,

डा. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, दिनांक 10 सितम्बर, 2015.

विषयः उत्तराखण्ड के बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–289/वि.क./XVII-1/2015-18(वि.क.)/2005-TC, दिनांक 27.07.2015 एवं आपके पत्रांक–1516/स.क./पेंशन योजना/2015–16, दिनांक 03.08.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड के बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी। योजना की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

कृपया तद्नुसार योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या-359(1)/XVII-1/2015-18(वि.क.)/2015-TC, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

संख्या– 288/XVII-1/2015-06(91)/2006

प्रेषक,

एस. राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01.

देहरादून, दिनांक 27 जुलाई, 2015.

विषयः विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजनान्तर्गत जन्म से विकलांग बच्चों को भी 18 वर्ष की आयु तक ₹500 प्रतिमाह भत्ता दिए जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ऐसे निराश्रित विकलांग व्यक्तियों, जिनके जीवनयापन के लिए न तो कोई स्वयं का साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम करके अपना जीवनयापन कर सकते हैं, को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले और 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है।

2. वर्तमान में 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने की कोई योजना संचालित नहीं है और उक्त आयु वर्ग के विकलांग बच्चों के पालन–पोषण में उनके अभिभावकों को अतिरिक्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, अतः विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत जन्म से विकलांग बच्चों को भी 18 वर्ष की आयु तक ₹500/- प्रतिमाह भत्ता दिए जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त भत्ते का भुगतान विकलांग बच्चे के अभिभावक के बैंक खाते में किया जाएगा। आयु सीमा, भत्ते की धनराशि और भुगतान की प्रक्रिया के अतिरिक्त विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना की अन्य प्रक्रियाएं/नियम यथावत् रहेंगे। विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–862/XXVII(1)/2015, दिनांक 23.07.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. राजू)
अपर मुख्य सचिव।

— 2 —

संख्या–288 (1)/XVII-1/2015-06(91)/2006, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(पी.एस. जंगपांगी)
सचिव।

दिव्यांगजनों हेतु प्रदत्त सुविधाओं से
सम्बन्धित शासनादेशों का संकलन

उत्तराखण्ड शासन

शासनादेशों का संकलन

कार्यालय
आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड,
देहरादून।
दूरभाष नं0 0135– 2727981
E mail :- cduttarakhand@gmail.com